

14/7/25 पत्रावली वादी व वकील वादी की ओर
से प्रार्थना पत्र ब्याजत विद्वा किसे जाने व
पेश हुमी । वादी व वकील वादी को दुना गया।
प्रार्थना पत्र का अकलोकन किया गया, वादी
वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता
है न हि आगे चलना चाहता है अतः वादी का
वादपत्र विद्वा की अनुमति के साथ खारिज
किया जाता है पत्रावली कैलल शुमा होकर
नम्बर से कम होकर हाथिल दफतर हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)